रांची, २८ जुलाई, २०१५

राष्ट्रीय नॅवीन मेल

सुप्रीम कोर्ट की पहल पर आजीवन सजा काट चुके कैदियों की आस जगी

रांची। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्रीय कारा रांची व हजारीबाग के १९५ आजीवन कारावास के कैदियों में रिहाई की आस जगी है। इनमें १३० कैदी रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार में बंद हैं तो ६५ कैदी हजारीबाग के जेपी केंद्रीय कारा में बंद हैं। ये ऐसे कैदी हैं जो १४ साल तो दूर २०-२० साल की अवधि पूरी कर चुके हैं, लेकिन उन्हें रिहाई बोर्ड की अनुमति नहीं दी जा सकी है। इसी मार्च व अप्रैल के महीने में दोनों केंद्रीय काराओं के आजीवन कारावास की सजा काट रहे सभी १९५ कैदियों ने इच्छा मृत्यु की मांग को लेकर राष्ट्रपति-प्रधानमंत्री से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को आवेदन दिया था। प्रतिलिपि गृह मंत्री, मानवाधिकार आयोग, न्याय एवं कानून मंत्री, मुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ

अधिकारियों को भी दी गई थी। कैदियों ने यह तर्क दिया था कि सीआरपीसी की धारा ४३२, ४३३ व ४३३ (ए) के तहत राज्य सरकार स्टेट सेंटेंस बोर्ड का गठन कर प्रत्येक तीन महीने में बैठक कर वैसे बंदी, जिनकी सजा १४ वर्ष या २० वर्ष पूरी हो चुकी है, उन्हें कारा से मुक्त कर सकती है। झारखंड में इसकी अंतिम बैठक २० जून २०१४ को हुई थी, जिसके तहत झारखंड में २५ कैदियों को कारा से मुक्त किया गया था। तब से अब तक बोर्ड की बैठक नहीं हो सकी। इसका असर यह हुआ कि अब भी जेल में २० से ३२ वर्ष की सजा काट चुके कैदियों को नहीं छोड़ा जा रहा है।